पत्रांक—19 / एम 1—33 / 2025

बिहार सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

प्रेषक,

प्रो0 (डॉ0) एन0 के0 अग्रवाल,
निदेशक (उच्च शिक्षा)

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक 19/02/2026

विषयः— राज्य के सभी विश्वविद्यालयों / नियंत्रणाधीन अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2025—26 में विद्यार्थियों के नामांकन हेतु स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय पत्रांक—2956 दिनांक 03.08.2023 एवं पत्रांक—3597 दिनांक—27.07.2024 का स्मरण किया जाय। उक्त पत्र द्वारा छात्रों के शैक्षणिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रणाधीन संचालित महाविद्यालयों में विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या निर्धारण करने हेतु क्रमशः शैक्षणिक सत्र 2023—24 एवं 2024—25 के लिए प्राधिकृत किया गया था एवं निदेश दिया गया था कि विश्वविद्यालय सिर्फ उन्ही व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की अनुमति प्रदान करेंगे / सीट निर्धारित करेंगे, जिसके लिए राज्यपाल सचिवालय द्वारा अध्यादेश / विनियमन (Ordinance & Regulation) अधिसूचित की जा चुकी हो। साथ ही, यह भी निदेश दिया गया था कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2024—25 से सीट निर्धारण के संबंध में अपनी अनुशंसा संबंधन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के द्वारा निर्धारित समय—सारणी के सदृश्य उपलब्ध कराया जाएगा।

उक्त निदेश के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2025—26 में विश्वविद्यालय / अंगीभूत महाविद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तथा गत वर्ष वयवसायिक पाठ्यक्रमों में सीटों की स्वीकृति एवं नामांकंन हेतु दिये गये निदेश के क्रम में राज्य के मात्र मगध विश्वविद्यालय से अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए प्रस्ताव को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव / अनुशंसा प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव उक्त वर्णित तथ्यों एवं सत्र 2024—25 में दिये गये नामांकन के स्वीकृति के आधार पर ऐसे अंगीभूत महाविद्यालयों के छात्रों के शैक्षणिक हित को सर्वोपरी मानते हुए निम्नांकित शर्त्तों के साथ वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025—26 में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत के अंगीभूत महाविद्यालयों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम यथा—बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0एम0एस0 एवं अन्य सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में निम्न निदेश के साथ नामांकन हेतु सीट निर्धारण तथा पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति के लिए विश्वविद्यालय को प्राधिकृत किया जाता है :—

(i) बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 एवं बी0एम0एस0 में AICTE से मान्यता / बंधेज का अक्षरशः पालन किया जाएगा।

(ii) महाविद्यालयों में गत वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में जिन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए जितनी सीटों की अधिसीमा के अन्तर्गत पाठ्यक्रम संचालन के लिए सहमति दी गयी थी, उतनी ही सीटों एवं उन्हीं विषयों में नामांकन लिए जायेंगे, बशर्त्ते कि उन पाठ्यक्रमों का ऑर्डिनेंश, रेगुलेशन राज्यपाल सचिवालय से निर्गत हो।

(iii) ऑर्डिनेंश एवं रेगुलेशन के अनुरूप जो भी महाविद्यालय वांछित आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला की सुविधा, शैक्षणिक कर्मी आदि के मानक को पूरा नहीं करते हों तो तदनुसार अनुमान्यता के अनुरूप सीटों में कमी करेंगे अथवा नामांकन नहीं लेने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(iv) उपरोक्त शर्त्तों को ध्यान में रखते हुए नामांकन के पूर्व नामांकित हो रहे छात्रों के लिये राज्य सरकार के अद्यतन आरक्षण पॉलिसी का पालन करते हुए नामांकन हेतु छात्रों का मेधासूची पारदर्शितापूर्वक तैयार करेंगे एवं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे।

(v) उपरोक्त कंडिका–2 के सदृश्य शैक्षणिक सत्र 2026–27 से अनुपालन हेतु अलग से दिशा निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय प्रशासन को यह निदेश दिया जाता है कि अंगीभूत महाविद्यालयों में संचालित हो रहे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र 2026–27 से सीट निर्धारण के संदर्भ में अपनी अनुशंसा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित कर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के द्वारा निर्धारित समय–सारणी के सदृश्य विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 61(2) का अनुपालन करते हुए ससमय व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सीटों के निर्धारण के साथ–साथ संचालन की अनुमति प्रदान किया जा सके।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(एन0 के0 अग्रवाल)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

ज्ञापांकः–19/एम1–33/2025...311... पटना, दिनांक 19/02/2026

प्रतिलिपिः– सभी कुलपति, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/सभी संबंधित अंगीभूत महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, लोकभवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के निजी सहायक/निदेशक, उच्च शिक्षा के निजी सहायक/सभी उप निदेशक, उच्च शिक्षा एवं प्रशाखा पदाधिकारी/अवर सचिव–14 एवं 15 को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, उच्च शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17.2.26
निदेशक (उच्च शिक्षा)